

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] No. 42] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2019/माघ 2, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2019/MAGHA 2, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 43(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित के धारा 26, धारा 27 की उपधारा (1), धारा 28, धारा 29, धारा 31 की उपधारा (2), धारा 39 की उपधारा (3) और (4), धारा 40 की उपधारा (6) और धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 का और संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और आरंभ:—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 9क में, उपनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
- ''(11) यह नियम किसी गैर-सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी जो:—
 - (क) कोई निधि;
 - (ख) कोई सरकारी कंपनी या
 - (ग) कोई पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी है,पर लागू नहीं होगा।"।

[फा. सं. 1/21/2013-सीएल-V-पार्ट]

के वी आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

401 GI/2019 (1)

- टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.िन. संख्या 251(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्न अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गए थे:—
 - (1) अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 424(अ) तारीख 30 जून, 2014;
 - (2) अधिसूचना सा का नि. संख्या 430(अ) तारीख 7 मई, 2018;
 - (3) अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 752(अ) तारीख 7 अगस्त, 2018; और
 - (4) अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 853(अ) तारीख 10 सितंबर, 2018।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2019

- **G.S.R. 43(E).**—In exercise of the powers conferred by section 26, sub-section (1) of section 27, section 28, section 29, sub-section (2) of section 31, sub-sections (3) and (4) of section 39, sub-section (6) of section 40 and section 42 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:—
- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Amendment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, in rule 9A, after sub-rule (10), the following shall be inserted, namely:—
- "(11) This rule shall not apply to an unlisted public company which is:—
 - (a) a Nidhi;
 - (b) a Government company or
 - (c) a wholly owned subsidiary.".

[F. No. 1/21/2013-CL-V-part]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

- **Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 251(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended:—
 - (1) Vide notification number G.S.R. 424(E), dated the 30th June, 2014;
 - (2) Vide notification number G.S.R. 430 (E) dated the 7th May, 2018;
 - (3) Vide notification number G.S.R. 752 (E) dated the 7th August, 2018; and
 - (4) Vide notification number G.S.R. 853 (E) dated 10th September, 2018.